बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
संचिका संख्या-स०क०निग०-372/2025

::-संकल्प-::

संचिका संख्या-स०क० निग०-372/2025-.....4491...../ जिला पदाधिकारी, किशनगंज का पत्रांक-1432 दिनांक-18.12.2025 एवं पत्रांक-190 दिनांक-19.02.2026 द्वारा श्री नागेन्द्र कुमार, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन, किशनगंज के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध ऑगनबाड़ी अपील वाद सं0-123/2019 यासमीन खातुन बनाम राज्य एवं अन्य में जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय के द्वारा दिनांक-15.07.2023 को पारित आदेश की अवहेलना करने, अपने अधिकारिता से बाहर जाकर अनुचित तरीके से कार्यालय आदेश ज्ञापांक-192 दिनांक-11.03.2025 निर्गत किये जाने, ईद उल जोहा (बकरीद) 2025 के अवसर पर विधि व्यवस्था से अनुपस्थित पाये जाने, दिनांक-23.05.2025 को जिला पदाधिकारी, किशनगंज की अध्यक्षता में आयुष्मान कार्ड मिशन मोड के समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाने, दिनांक 30.04.2025 को आयोजित अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशेष विकास शिविर के निरीक्षण में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाने, माह अप्रैल 2025 में ऑगन ऐप के माध्यम से लक्ष्य के विरुद्ध 50 प्रतिशत से कम एवं माह सितंबर 2024 में ऑगन ऐप के माध्यम से लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 03 ऑगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किये जाने तथा आई.सी.डी.एस निदेशालय के पत्रांक-5427 दिनांक-19.09.2024 एवं पत्रांक-265 दिनांक-09.01.2025 के आलोक में रोकड़बही से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय, किशनगंज के ज्ञापांक-75 दिनांक-11.01.2025 एवं 576 दिनांक-16.04.2025 द्वारा किये जाने पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने आदि का आरोप लगाया गया।

उक्त आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक-1259 दिनांक-02.03.2026 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-143 दिनांक-19.03.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत श्री नागेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2099 दिनांक-30.04.2026 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई।

श्री नागेन्द्र कुमार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन, किशनगंज के पत्रांक-322 दिनांक-27.06.2026 द्वारा अपना लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया है। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री नागेन्द्र कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अन्तर्गत श्री नागेन्द्र कुमार के विरूद्ध उक्त आरोपों की जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से इनके विरूद्ध आरोपों की जाँच की जाय।

(2) इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) (5) (क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) श्री नागेन्द्र कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिक दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हों तथा अपने बचाव का लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

(4) श्री नागेन्द्र कुमार को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका (3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित पक्ष संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करती हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) उनके विरूद्ध एक पक्षीय जाँच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति) सहित श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की प्रति) सहित उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्री नागेन्द्र कुमार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-372/2025 - 4491 पटना-15 दिनांक :- 12.8.2026

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्री राजेश कुमार, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्री नागेन्द्र कुमार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोचाधामन, किशनगंज को आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-372/2025- 4491 पटना-15 दिनांक :- 12.8.2026

ई-मेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।